न्यायालय : न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय, माण्डल, भीलवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – अंजना अग्रवाल, RJS (अतिरिक्त कार्यभार)
फौजदारी प्रकरण संख्या – 148/2021
एफआईआर – 183/2021 पुलिस थाना मांडल
CNR No. – RJBW220004012021
राज्य

–– अभियोगी

– विरूद्ध –

महावीर प्रसाद खटीक पिता प्यारचंद खटीक, उम्र 45 वर्ष निवासी खातोला थाना आसींद जिला भीलवाडा।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा– 279, 304ए भा.द.सं.

01. सहायक अभियोजन अधिकारी, राज्य सरकार की ओर से अनुपस्थित।
02. श्री विनोद तिवाड़ी, अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

– निर्णय – **दिनांक– 28.03.2026**

घटना की दिनांक	21.06.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	21.06.2021
आरोप पत्र पेश किए जाने की दिनांक	20.10.2021
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	20.10.2021
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की दिनांक	20.10.2021
बयान मुल्जिम लिए जाने की दिनांक	07.03.2026
निर्णय सुरक्षित रखे जाने की दिनांक	28.03.2026
निर्णय सुनाए जाने की दिनांक	28.03.2026
सजा आदेश यदि हो तो	दोषमुक्त

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि यह है कि दिनांक 21.06.21 को प्रार्थी विजेंद्र सिंह ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 21.06.2021 को सुबह करीब 10.30 बजे उसके फुफोसा सुमेर सिंह अपनी एक्सल विक्की पर सवार होकर अपने गांव केरिया से भीमडियास जा रहे थे कि केरिया रोड पर मोड के पास पँहुचे कि करेडा से भीलवाडा वाले रोड पर सामने से अज्ञात वाहन चालक अपने वाहन को तेजगति गफलत एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए उसके फुफोसा के जो सही साईड पर विक्की को चला रहे थे के जोरदार टक्कर मार दी। जिससे उसके फुफोसा के शरीर पर गंभीर एवं घातक चोटे आई। उसके फुफोसा के मुख्य रुप से सिर में गंभीर चोट आई तथा राहगीरों व महेन्द्र प्रताप सिंह ने उसके फुफोसा को 108 एम्बुलेंस से ईलाज हेतु माण्डल अस्पताल लेकर आये लेकिन चोटो की गंभीरता के कारण उच्च ईलाज हेतु MGH अस्पताल भीलवाडा में भर्ती कराया। उसके फुफोसा की MGH भीलवाडा मे दुर्घटना में आई गंभीर चोटो के कारण ईलाज के दौरान दिन में मृत्यु हो गई। जिनकी लाश चिरघर में रखी हुई। उक्त दुर्घटना अज्ञात वाहन चालक की गलती से हुई.....आदि। जिस पर यह प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 148/2021 धारा 279, 304ए भा.दं.सं में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद आवश्यक अनुसंधान पुलिस थाना मांडल, भीलवाड़ा द्वारा अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरूद्ध धारा 279, 304ए

भा.द.सं. के आरोप में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर दिनांक 20.10.2021 को धारा 279, 304 ए भा.द.सं. में प्रसंज्ञान लिया गया तथा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त महावीर प्रसाद को अपराध अन्तर्गत धारा 279, 304 ए भा.दं.सं. के आरोप मौखिक रूप से सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर, अन्वीक्षा चाही।

अभियोजन गवाह

क्रम सं.	नाम	साक्ष्य प्रकृति
पी.डब्ल्यू. 01	विजेंद्र सिंह	शिकायतकर्ता
पी.डब्ल्यू. 02	महेंद्र सिंह	फर्द पंचनामा लाश
पी.डब्ल्यू. 03	अमरसिंह	पंचनामा लाश साक्षी
पी.डब्ल्यू. 04	मदन सिंह	फर्द पंचनामा, फर्द सूरतेहाल मोटरसाईकिल, फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 05	गजेंद्र सिंह	फर्द पंचनामा लाश, फर्द सुपुर्दगी लाश
पी.डब्ल्यू. 06	जसवंत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
पी.डब्ल्यू. 07	अनिल	चक्षुदर्शी साक्ष्य
पी.डब्ल्यू. 08	श्यामलाल	फर्द नक्शा मौका
पी.डब्ल्यू. 09	प्यारचंद	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू. 10	जगदीश प्रसाद	फर्द जप्ती
पी.डब्ल्यू. 11	पारसमल	मालखाना इंचार्ज
पी.डब्ल्यू. 12	डॉ. चेतन कुमार	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
पी.डब्ल्यू. 13	सांवर सिंह	मैकेनिकल मुआयना

अभियोजन दस्तावेज सूची

क्रम सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श पी 01	तहरीरी रिपोर्ट
02	प्रदर्श पी 02	फर्द पंचनामा मृतक सुमेर सिंह
03	प्रदर्श पी 03	फर्द सुपुर्दगी लाश
04	प्रदर्श पी 04	फर्द नक्शा मौका
05	प्रदर्श पी 05	फर्द सूरतेहाल मोपेड
06	प्रदर्श पी 06	चाक एफआईआर
07	प्रदर्श पी 07	फर्द जप्ती वैन मारूति
08	प्रदर्श पी 08	वाहन मालिक को दिया गया 133 एमवी एक्ट का नोटिस
09	प्रदर्श पी 09	जप्तशुदा वाहन की मैकेनिकल रिपोर्ट

10	प्रदर्श पी 10	दुर्घटना में मृतक सुमेर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
11	प्रदर्श पी 11	सुपुर्दगी वाहन की रसीद

अभियुक्त द्वारा प्रदर्शित दस्तावेज

क्र. सं.	प्रदर्श	विवरण
01	प्रदर्श डी 01	161 बयान महेंद्र प्रताप

3. अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में किया गया तो अभियुक्त ने अभियोजन गवाहान की साक्ष्य गलत होना तथा स्वयं का झुठा फंसाया जाने का कथन किया है। अभियुक्त द्वारा बचाव साक्ष्य पेश ना करना चाहने पर साक्ष्य सफाई का अवसर समाप्त किया गया।

4. अभियुक्त ने अपीलीय न्यायालय में हाजरी बाबत् धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत छः माह की अवधि हेतु 10 हजार रुपये का स्वयं का मुचलका एवं जमानत पेश कर तस्दीक करवाये गये।

5. बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है किः–

1 क्या अभियुक्त महावीर प्रसाद ने दिनांक 21.06.2021 को सुबह करीब 10.30 बजे केरिया रोड मोड पर वाहन वैन नंबर आरजे 06 यूए 2652 को लोकमार्ग पर तेज गति, लापरवाही व उतावलेपन से चलाकर एक्सल विक्की पर जा रहे सुमेर सिंह के टक्कर मारकर मानव जीवन को संकटापन्न किया जिसके फलस्वरूप सुमेर सिंह के टक्कर लगने से आई चोटों से सुमेर सिंह की मृत्यू कारित हुई ?

2– यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा?

6. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न के निस्तारण हेतु बहस सुनी जाकर साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

7. अधिवक्ता अभियुक्त ने अभियुक्त को झुठा फंसाया जाने का कथन किया एवं बताया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अभियोजन पक्ष के किसी भी गवाह ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई भी कथन नहीं किया है कि प्रकरण हाजा का अभियुक्त वक्त घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक हो। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किए जाने का निवेदन किया।

8. सहायक अभियोजन अधिकारी के अनुपस्थित होने पर अधिवक्ता अभियुक्त को सुनकर गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

9. गवाह पीडब्ल्यू 01 विजेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है घटना करीब साल भर पहले की है। दिन में 11–12 बजे की बात है। उसके पिता के फुफाजी जो मोटरसाईकिल पर भगवान पुरा से केरिया आ रहे थे तो रास्ते में केरिया चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हो गया था जो किस वाहन से हुआ था पता नहीं है। फिर उसने थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके फुफाजी के सिर में चोट आने की रिपोर्ट दी थी। जिनको पहले माण्डल लाये थे और फिर उनको भीलवाड़ा रेफर कर दिया था जहाँ ईलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रदर्श पी 01 उसके द्वारा दी गई तहरीरी रिपोर्ट है। प्रदर्श पी 02 फर्द पंचनामा मृतक सुमेर सिंह है। प्रदर्श पी 03 फर्द सुपुदर्गी लाश है। प्रदर्श पी 04 नक्शा मौका है। प्रदर्श पी 05 फर्द सुरते हाल मोटर साईकिल है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि वह मौके पर नहीं था इसलिये नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था। दुर्घटना होने के बाद वह वहां पहुंचा था। रिपोर्ट उसने माण्डल थाने में कराई थी। प्रदर्श पी 01 पुलिस वाले ने ही लिखी थी उसने केवल साईन ही

किये थे। लाश उसे सौंपते वक्त उनके सिर और हाथ में चोटें थी। प्रदर्श पी 04 बनाते समय वह मौके पर नहीं था। प्रदर्श पी 04 पर उसके साईन हास्पीटल में करवाये थे। प्रदर्श पी 05 पर उसके साईन घर पर करवाये थे यह बात सही है कि इस पर क्या लिखा उसे पता नहीं है साईन पुलिस के कहने से ही किये थे। बाद में उसे पता नहीं चला कि दुर्घटना किस गाडी से हुआ था।

10. गवाह पीडब्ल्यू 02 महेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श पी 2 फर्द पंचनामा है। घटना 2021 की है। तारीख माह तो याद नहीं है। दिन में 10–11 बजे की बात है। केरिया चौराहे के पास से उसके मित्रों ने फोन किया कि आपके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया है। फिर वह जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ उनके घर गया था फिर वह मौके पर गया वहां एक व्यक्ति 108 में लेटा हुआ था जिनका नाम सुमेर सिंह राठौड था। फिर वह उनके माण्डल हॉस्पीटल आया। फिर वहां से भीलवाडा रेफर किया गया था जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। सुमेर सिंह के सिर में गंभीर चोट आई थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि वह मौके पर एक्सीडेंट होने के बाद ही गया था। प्रदर्श डी 01 का ए से बी भाग उसने नहीं लिखाया था। उसे उनके चोटों के बारे में जानकारी नहीं हुई थी। प्रदर्श पी 03 पर उसके साईन है जो हॉस्पीटल में करवाये थे। जिसमें क्या लिखा उसकी जानकारी में नहीं है। यह कहना सही है कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ नहीं बता सकता है क्यों कि वह मौके पर नहीं था।

11. गवाह पीडब्ल्यू 03 अमरसिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श पी 02 पर उसके साईन है। जो कि उसने भीलवाड़ा हास्पीटल में किये थे। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा हुआ था पता नहीं है उसने पुलिस वालों के कहने से ही साइन किये थे। हॉस्पीटल में खड़े थे। प्रदर्श पी 02 पर साईन किस बात के करवाये पता नहीं है और पुलिस वालों ने उसे पढ कर नहीं सुनाया था।

12. गवाह पीडब्ल्यू 04 मदन सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श पी 02 पर उसके साईन है। जो कि उसने भीलवाड़ा हॉस्पीटल में किये थे। प्रदर्श पी 04 पर उसके साईन है। प्रदर्श पी 05 फर्द सुरते हाल मोटर साईकिल है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा हुआ था पता नहीं है उसने पुलिस वालों के कहने से ही साइन किये थे। हॉस्पीटल में खडे थे। प्रदर्श पी 02 पर साईन किस बात के करवाये पता नहीं है और पुलिस वालों ने उसे पढ कर नहीं सुनाया था। पी 04, 05 पर उसके साईन थाने में करवाये थे जिनमें क्या लिखा पता नहीं है। जो उसने पुलिस के कहने से किये थे। पुलिस वाले मौके पर आये या नहीं उसे पता नहीं है।

13. गवाह पीडब्ल्यू 05 गजेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि प्रदर्श पी 02 पर उसके साईन है। जो कि उसने भीलवाड़ा हॉस्पीटल में किये थे। प्रदर्श पी 03 पर उसके साईन है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा हुआ था पता नहीं है उसने पुलिस वालों के कहने से ही साइन किये थे। हॉस्पीटल में खडे थे। यह सही है कि प्रदर्श पी 02 में क्या लिखा हुआ प्रदर्श पी 02 पर साईन किस बात के करवाये पता नहीं है और पुलिस वालों ने उसे पढ कर नहीं सुनाया था। पी 03 पर उसके साईन थाने में करवाये थे जिनमें क्या लिखा पता नहीं है। जो उसने पुलिस के कहने से किये थे। पुलिस वाले मौके पर आये या नहीं उसे पता नहीं है।

14. गवाह पीडब्ल्यू 06 जसवंत ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना एक साल पहले की है। वह पिकअप से हरिपुरा से केरिया जा रहा था। उसने देखा कि केरिया मोड पर बहुत लोग इकठ्ठे हो रहे थे वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना कारित वाहन को उसने नहीं देखा लेकिन दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक एक्सेल थी। यह गाडी सुमेर सिंह की थी जो कि उनके गाँव के ही थे। वह मौके पर एक्सीडेंट के बाद पहुंचा था। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी और ना ही वह ये बता सकता है कि दुर्घटना में किसकी लापरवाही रही। दुर्घटना कारित वाहन को कौन चला रहा था उसे नहीं पता। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि दुर्घटना में गलती पीछे वाले वाहन की होगी। वह मौके पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता।

15. गवाह पीडब्ल्यू 07 अनिल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि घटना लगभग पाँच छ महीने पुरानी है। वह पिकअप से हरिपुरा से केरिया जा रहा था। उसके साथ जसवंत सिंह भी थे। उसने देखा कि केरिया मोड पर बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। दुर्घटना कारित वाहन को उसने नहीं देखा लेकिन दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक एक्सेल थी। यह गाडी सुमेर सिंह की थी जो कि उनके गाँव के ही थे। वह मौके पर एक्सीडेंट के बाद पहुंचा था। उसने दुर्घटना होते हुए नहीं देखी और ना ही वह ये बता सकता है कि दुर्घटना में किसकी लापरवाही रही। दुर्घटना कारित वाहन को कौन चला रहा था उसे नहीं पता। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि एक्सीडेंट में गलती वहाँ जमा लोग वैन वाले की बता रहे थे। वह वक्त दुर्घटना मौके पर नहीं था इसलिए ये नहीं बता सकता कि दुर्घटना में किसकी लापरवाही रही।

16. गवाह पीडब्ल्यू 08 श्यामलाल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दुर्घटना कब कैसे व किसके बीच हुई उसे नहीं पता। दुर्घटनास्थल से कुछ दूरी पर उसकी चाय की दुकान है इसलिए पुलिस वालो ने उसे चौकी में बुलाकर दस्तावेज पर साईन कराये थे। फर्द नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 पर उसके साईन है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि साईन उसने खाली कागज पर पुलिस के कहने पर किये थे। साईन किस बात के कराये उसे नही पता।

17. गवाह पीडब्ल्यू 09 प्यारचंद ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि दिनांक 21.06.21 को वह पुलिस थाना मांडल में हैड कानि के पद पर तैनात था उस रोज प्र. स. 183/21 का अनुसंधान उसके जिम्मे हुआ। उक्त प्रकरण की चाक एफआईआर प्रदर्श पी 6 है। फर्द सूरते हाल मोपेड नम्बर आर जे 06 एमएस 5824 प्रदर्श पी 5 है। फर्द जब्ती वैन मारूति नम्बर आर जे 06 यूए 2652 को वजह सबूत जब्त कर फर्द बनाई जो प्रदर्श पी 7 है। वाहन मालिक को दिया गया 133 व 134 एमवी एक्ट का नोटिस प्रदर्श पी 8 है। जब्तशुदा वाहन की मैकेनिक रिपोर्ट प्रदर्श पी 9 है। दुर्घटना में मृतक सुमेर सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 10 है। फर्द पंचनामा लाश प्रदर्श पी 2 व फर्द सुपुर्दगी लाश प्रदर्श पी 3 है। गवाहो के बयान उनके कथनानुसार लेकर लेखबद्ध किये। बाद तफतीश पत्रावली धारा 279, 304 ए आईपीसी में चालान न्यायालय में पेश करने हेतु एसएचओ के समक्ष पेश किया। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि प्रदर्श पी 5 उसने घटना के 20 दिन बाद बनाया था। प्रदश पी 7 उसने कब जब्त की फाईल देखकर बता सकता है, दूसरे या तीसरे दिन गाड़ी जब्त नहीं की थी। उसकी तफतीश में टक्कर आमने सामने से हुई थी। यह कहना गलत है कि वैन के आगे टूट फूट नहीं हो जबकि चालक की साईड में एक्सीडेंट से कलर उतरा हुआ था व स्कैच आए हुए थे और ये बात उसने प्रदर्श पी 7 में लिखी थी और बाकी वह पत्रावली देखकर बता सकता है। नक्शा मौका उसने घटना के 14–15 दिन बाद दिन में बनाया था। दुर्घटनास्थल पर केरिया की तरफ एक मोड है उस रोड पर जाने पर वाहन धीमी गति में होकर जाते है। यह कहना गलत है कि अभियुक्त अपना वाहन लेकर हरिपुरा से केरिया जा रहा हो बल्कि करेडा जा रहा था। मोपेड चालक केरिया से हरिपुरा की तरफ जा रहा था। यह कहना गलत है कि मोपेड केरिया से एकदम से आया और वैन से टकरा गया।

18. गवाह पीडब्ल्यू 10 जगदीश प्रसाद ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 30.08.2021 को पुलिस थाना मांडल में कानि. के पद पर तैनात था। उस दिन थाना हाजा के प्रकरण संख्या 183/2021 में हैड. कानि. प्यारचंद जी द्वारा उसके सामने मारूति वैन रजि. न. आरजे 06 यूए 2652 थाने पर जब्त की गई, जिसकी फर्द जप्ती प्रदर्श पी 07 है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसे वाहन के इंजन व चेसिस नंबर याद नहीं है। वाहन में हुई टूट –फूट कितनी पुरानी है, वह यह नहीं बता सकता। गाड़ी की जप्ती थाने पर की गई।

19. गवाह पीडब्ल्यू 11 पारसमल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 01.09.2021 को माण्डल थाने मे हैड कानि के पद पर तैनात था। उस दिन वह थाने का मालखाना इंचार्ज था। मालखाना इंचार्ज होने के नाते न्यायालय के आदेश की पालना मे प्रकरण संख्या 183/2021 मे जब्तशुदा वाहन मारूति वैन नंबर आरजे 06 यूए 2652 महावीर प्रसाद को सुपुर्दगी पर दी। सुपुर्दगी की रसीद प्रदर्श पी 11 है। अधिवक्ता अभियुक्त को जिरह का अवसर दिया गया जिरह नही करना चाहा।

20. गवाह पीडब्ल्यू 12 डॉ चेतन कुमार ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 21.06.2021 को महात्मा गांधी चिकित्सालय में मेडिकल ज्यूरिस्ट के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना माण्डल की तहरीर पर उसने मृतक सुमेर सिंह पिता फौज सिंह का शव परीक्षण कर पी.एम. रिपोर्ट तैयार की, जो प्रदर्श पी 10 है। उसकी राय में मृतक की मृत्यु सिर व छाती पर लगी चोटों की वजह से हुए शॉक के कारण हुई है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि मृतक की मृत्यु सिर व छाती पर लगी चोटों की वजह से हुए शॉक के कारण हुई है। इसके अलावा मृत्यु का और कोई कारण नहीं है।

21. गवाह पीडब्ल्यू 13 सांवर सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में कथन किया है कि वह दिनांक 30.08.2021 को थाना माण्डल पर कॉनि चालक के पद पर तैनात था। उस दिन एचसी शिवराज जी द्वारा जप्त वैन जिसका नं. आरजे 06 यूए 2652 है, का मैकेनिक मुआयना उसके द्वारा किया गया, जो प्रदर्श पी 9 है। उक्त रिपोर्ट में गाड़ी चालू हालत में थी। गाड़ी के सभी पार्ट्स अच्छी तरह से काम कर रहे थे, कोई भी टेक्निकल समस्या नहीं थी। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त गवाह ने कथन किया है कि यह कहना सही है कि गाड़ी के सामने किसी प्रकार की टूटफूट नहीं है, ना कोई रगड़ के निशान है। उसके पास डिप्लोमा नहीं है, ना ही इंजीनियरिंग की डिग्री है। उसने विभागीय ट्रेनिंग कर रखी है। वह गाड़ी को रिपेयर करने में एक्सपर्ट नहीं है।

22– पत्रावली पर प्रदर्शित तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 का अवलोकन करने से जाहिर है कि यह रिपोर्ट विजेंद्र सिंह द्वारा इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि दिनाक 21.06.2021 को सुबह करीब 10.30 बजे उसके फुफोसा सुमेर सिंह अपनी एक्सल विक्की पर सवार होकर अपने गांव केरिया से भीमडियास जा रहे थे कि केरिया रोड पर मोड़ के पास पहुंचे कि करेड़ा से भीलवाड़ा वाले रोड पर अज्ञात वाहन चालक अपने वाहन को तेज गति, गफलत एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया एव उसके फुफोसा जो कि सही साईड पर विक्की को चला रहे थे, के जोरदार टक्कर मार दी। उसके फुफोसा के शरीर पर गंभीर व घातक चोटें आई। राहगीर व महेंद्र प्रताप सिंह ने 108 एंबुलेंस से ईलाज हेतु मांडल अस्पताल लेकर आए जिनकी चोट गंभीर होने के कारण एमजीएच भीलवाड़ा में रेफर कर दिया। दौराने ईलाज जिनकी मृत्यू हो गई.....आदि।

23– उक्त तहरीरी रिपोर्ट के संदर्भ में पत्रावली पर आई अभियोजन साक्ष्य का अवलोकन करें तो गवाह पीडल्यू 01 विजेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में घटना के समय उसके फुफाजी का मोटरसाईकिल पर भगवानपुरा से केरिया आने, रास्ते में केरिया चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हो जाने, एक्सीडेंट किस वाहन से हुआ पता नही होने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि वह मौके पर नहीं था इसलिए नहीं बता सकता कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ था। दुर्घटना होने के बाद वह वहां पहुंचा था। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 01 विजेंद्र ने स्वयं का दुर्घटना के समय मौके पर नहीं होने एवं एक्सीडेंट के बाद मौके पर पहुंचने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 02 महेंद्र सिंह ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में केरिया चौराहे के पास से उसके रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो जाने बाबत उसके मित्र का फोन आने, उसका मौके पर जाने एवं 108 में एक व्यक्ति सुमेर सिंह का लेटा हुआ होने का कथन किया है। दौराने जिरह गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि वह मौके पर एक्सीडेंट होने के बाद ही गया था। यह कहना सही है कि एक्सीडेंट किसकी गलती से हुआ, नहीं बता सकता क्योंकि वह मौके पर नहीं था। इस प्रकार गवाह पीडब्लयू 02 महेंद्र ने स्वय का मौके पर एक्सीडेंट के समय नहीं होने एवं एक्सीडेट किसकी गलती से हुआ बता नहीं सकने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 06 जसवंत ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में स्वयं का घटना के समय पिकअप से हरिपुरा से केरिया जाने, केरिया मोड पर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा देखने, वहां पर एक्सीडेंट होने, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं देखने, दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक्सेल सुमेर सिंह का होने, स्वयं का एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचने, दुर्घटना होते हुए नहीं देखने, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था, पता नहीं होने एवं दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई बता नहीं सकने का कथन किया है। इस प्रकार गवाह पीडब्ल्यू 06 जसवंत सिंह ने भी दुर्घटना के समय मौके पर नहीं होने एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था पता नहीं होने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 07 अनिल ने न्यायालय के समक्ष सशपथ बयानों में उसका जसवत के साथ पिकअप से हरिपुरा से केरिया

जाने, केरिया मोड़ पर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा देखने, वहां पर एक्सीडेंट होने, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को नहीं देखने, दुर्घटनाग्रस्त वाहन एक्सेल सुमेर सिंह का होने, स्वयं का एक्सीडेंट होने के बाद पहुंचने, दुर्घटना होते हुए नहीं देखने, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था, पता नहीं होने एवं दुर्घटना किसकी लापरवाही से हुई बता नहीं सकने का कथन किया है। इसप्रकार गवाह पीडब्ल्यू 07 अनिल ने भी दुर्घटना के समय मौके पर नहीं होने एवं दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को कौन चला रहा था पता नहीं होने का कथन किया है। गवाह पीडब्ल्यू 08 श्यामलाल ने दुर्घटना कब, कैसे व किसके बीच हुई पता नही होने एवं उसके द्वारा खाली कागज पर हस्ताक्षर करने के कथन किए हैं। । इस प्रकार अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि टक्कर कारित करने वाले वाहन का चालक प्रकरण हाजा का अभियुक्त हो।

24. न्यायिक दृष्टांत 2012(2) Cr. L. R. (Raj.) 743 राज. राज्य बनाम जमना लाल में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः–

PW–1 not named the accused in the statement. Held, Benefit of doubt rightly given to respondent accused.

25. न्यायिक दृष्टांत 2013(4) CJ(Cri.) (Raj.) 1667 भागचंद बनाम राज. राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Prosecution failed to prove the fact that the petitioner was driving the offending vehicle. Petitioner was neither named in FIR not he was identified as accused. No eye witness in support of prosecution case. Held, findings of conviction are perverse and liable to be quashed.

26– हस्तगत प्रकरण में चश्मदीद गवाह, मजरूब व अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह कथन नहीं किया गया है कि प्रकरण हाजा का अभियुक्त ही वरवक्त घटना वैन चला रहा था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि किसी भी गवाह ने ऐसा कथन नहीं किया है कि उन्होंने प्रकरण हाजा के अभियुक्त महावीर प्रसाद को प्रश्नगत वाहन संख्या आर.जे 06 युए 2652 को वरवक्त घटना चलाते हुए देखा हो। उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य का विश्लेषण करने से जाहिर होता है कि उपरोक्त गवाहों ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है।

27– यहां यह उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन द्वारा अभियुक्त की दोषसिद्धि हेतु अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना आवश्यक है कि वरवक्त घटना अभियुक्त ही प्रश्नगत वाहन को चला रहा था। इसके बाद ही प्रश्न उठेगा की क्या वह वाहन को लोकमार्ग पर लापरवाही , उतावलेपन व उपेक्षापूर्ण तरीके से चला रहा था, जिसके कारण उक्त दुर्घटना कारित हुई व सुमेर सिंह की मृत्यू चोट आने के फलस्वरूप हुई।

28– हस्तगत प्रकरण में परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष यह तथ्य प्रमाणित करने में विफल रहा है कि वरवक्त घटना अभियुक्त ही वाहन चालक था। ऐसी स्थिति में, जब यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि, वक्त दुर्घटना वाहन चालक अभियुक्त था, तो उसकी लापरवाही अथवा उपेक्षा होने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

29– उपरोक्त गवाहों की साक्ष्य का विश्लेषण करने से जाहिर होता है कि उक्त गवाहों ने अभियोजन कहानी की पुष्टि नहीं की है। उपरोक्त गवाहों व विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त महावीर प्रसाद के विरुद्ध आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304 ए भा.दं.सं. प्रमाणित करने में पूर्ण रूप से असफल रहा है कि अभियुक्त महावीर प्रसाद ने दिनांक 21.06.2021 को सुबह करीब 10.30 बजे केरिया रोड मोड पर वाहन वैन नंबर आरजे 06 यूए 2652 को लोकमार्ग पर तेज गति, लापरवाही व उतावलेपन से चलाकर एक्सल विक्की पर जा रहे सुमेर सिंह के टक्कर मारकर मानव जीवन को संकटापन्न किया जिसके फलस्वरूप सुमेर सिंह के टक्कर लगने से आई चोटों से सुमेर सिंह की मृत्यू कारित हुई।

30– अतः अभियुक्त महावीर प्रसाद को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के अपराध के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

31– अतः अभियुक्त महावीर प्रसाद खटीक पिता प्यारचंद खटीक, उम्र 45 वर्ष निवासी खातोला थाना आसींद जिला भीलवाडा को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 279, 304ए भा.दं.सं. के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

32– अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

33– प्रकरण में जप्तशुदा वाहन सुपुर्दगी पर है। प्रकरण में बाद गुजरने मियाद अपील वाहन का सुपुर्दगीनामा व जमानतनामा निरस्त समझा जावे एवं वाहन सुपुर्दगीदार के पास ही रहे।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)

34– निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 28.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(अंजना अग्रवाल)
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
माण्डल, भीलवाड़ा
(अतिरिक्त कार्यभार)